अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म	हुक्म की तामील में जारी हुए
	वकील वादी उप० वादी अपनी मिसल करना नहीं चाहते हैं। इसलिए इनकी मिसल बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते फाइनल बहस दिनांक 7/5/16 को पेश हो। [signature]	
7/5/16	वकील वादी तथा प्रति० का प्रतिनिधि उप० पूर्वानुसार वास्ते फाइनल बहस दिनांक 21/5/16 को पेश हो। [signature] 7/5	
21/5/16	वकील वादी उप० पूर्वानुसार वास्ते फाइनल बहस दि० 28/5/16 को पेश हो। [signature] 21/5	
28/5/16	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 में पेश हुई। पक्षकार ... है। पत्रावली पूर्वानुसार दि० 11/8/16 को पेश हो। [signature]	
11/8/16	वकील वादी उप० पूर्वानुसार वास्ते फाइनल बहस दिनांक 17/8/16 को पेश हो। [signature]	
17/8/16	वकील वादी तथा प्रतिवादी का प्रतिनिधि उप० SDO साहब अवकाश पर पधारे हैं पूर्वानुसार वास्ते फाइनल बहस दिनांक 24/8/16 को पेश हो। [signature]	
24/8/16	वकील वादी तथा प्रतिवादी का प्रतिनिधि उप० पूर्वानुसार वास्ते फाइनल बहस दिनांक 31/8/16 को पेश हो। [signature]	
31/8/16	वकील वादी एवं प्रतिवादी का प्रतिनिधि उप० बहस सुनी गई। दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। [signature]	

पीठासीन अधिकारी- श्री मुकेश कुमार मीना आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
42/10	दावा	23.09.10	31.08.16

जगदीशसिह पुत्र भगवानसिह जाति राजपूत निवासी धूलवास तहसील सपोटरा जिला करौली(राज) -वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली (राजस्थान)
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली। -प्रतिवादीगण

दाद पत्र इश्तकरार एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः- श्री केशव कुमार गोतम वकील वादी।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि वादी भारत सरकार के अधीनस्थ देश सेवा (मिलिट्री) मे स्थायी सैनिक के रूप मे कार्यरत था वादी का नं0 2940989 है वादी दिनांक 31.7.1990 को ही सेना से सेवा निवृत हुआ है। वादी ने 1962 की भारत चीन युद्ध मे अदम्य साहत व शोर्य का परिचय देश के सम्मान व गरिमा हेतु देने पर भारत सरकार ने राज्य सरकार को एवं जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को निर्देशित किया कि वादी ने भारत चीन युद्ध 1962 मे अदम्य साहस व शोर्य का प्रदर्शन किया है इसलिए 15 बीघा भूमि अविलम्ब आवंटन की जावे। वादी ने दिनपांक 26.7.1963 को तत्कालीन जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को वाके ग्रम बलुआपुरा तहसील सपोटरा मे स्थित आराजी खसरा नं0 326 रकबा 5 बीघा व खसरा नं0 334 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने उक्त भूमि को आवंटन करके भारत सरकार व रक्षा विभाग को भी सूचित कर दिया था। वादी दिनांक 31.7.1990 को ही सेना से सेवा निवृत हुआ था इसलिए आवंटित भूमि पर वादी भौतिक कब्जा नही रख सका। वादी के सेना से आने के बाद नया करौली जिला बन गया जिसके कारण वादी को आवंटन से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नही हो सका। वादी ने भौतिक कब्जा दिलाने के लिए कई बार राज्य सरकार एवं उच्च अधिकारियों को निवेदन किया है, फिर भी वादी को भोतिक कब्जा नही दिलाया गया है। ग्राम पंचायत हरिया का मंदिर ने विवादित भूमि वादी को आवंटित करने के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। इसलिए वादी ने माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार का मूल निवासी होने एवं भूतपूर्व सैनिक होने के कारण विवादित आराजीयात की घोषणा खातेदारी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के प्रतिनिधि ने अपना जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादी कभी भी वाद मे वर्णित भूमि का गैर खातेदार नही रहा अथवा खातेदार आसामी नही रहा है, न ही उनवानी रकबा वादी के नाम आवंटन हुआ है। तथा न ही वादी कभी काबिज रहा है। इस प्रकार बिना कोई कानूनी तथ्य के प्रस्तुत किया गया वाद प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। प्रस्तुत वाद राजस्व विधि एवम् नियमों के विपरीत माननीय न्यायालय मे पेश किया है, अतः खारिज फरमाया जावे। वादी प्रचलित राजस्व विधि अनुसार आवंटन कराने की कार्यवाही कर सकता है, तदानुसार आवंटन होने के पश्चात ही वादी को वाद मे वर्णित भूमि अथवा अन्य का कब्जा संभलाया जाकर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है अन्यथा वादी को मात्र वाद पत्र प्रस्तुत करने से कोई राहत दिये जाने का नियमों मे प्रावधान नही है। उक्तानुसार वादी प्रतिवादी सं0 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी भी नही है। वादी ने प्रति0 सं0 1 व 2 को 80 सी.पी.सी. का नोटिस भी नही दिया है, इसलिए निर्धारित अवधि गुजर जाने से पूर्व वादी के पक्ष मे स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना भी गैर कानूनी है। इसलिए वाद वादी खारिज फरमाया जावे। वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर किता सात तनकीयात कायम की गई। वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी जगदीशसिह गवाह सुगन एवं

उप जिला कलक्टर सपोटरा, जिला-करौली

अपनी जिरह हेतु उपस्थित नहीं आये इसलिए इनकी जिरह बंद की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने तहसीलदार सपोटरा को प्रस्तुत आवंटन का प्रार्थना पत्र के रजिस्टर की फोटो प्रति, सैनिक की नौकरी से सेवा निवृत होने की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत हरिया का मंदिर का जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, जमाबंदी नकल ग्रम बलुआपुरा सम्बत् 2065-68 पेश किये है। प्रतिवादीगण ने ना तो कोई मौखिक साक्ष्य एवं ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है। तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार है।

1. आया विवादित आराजीयात खसरा नं0 326 रकबा 5 बीघा, खसरा न0 334 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा ग्राम बलुआपुरा वादी को सन् 1962 मे भारत-चीन युद्ध मे अदम्य साहस का प्रदर्शन करने के फलस्वरूप सन् 1963 मे आवंटित की गई थी। इसलिए वादी पूर्व सैनिक की हैसियत से अपने नाम खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है? इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। इस तनकी का साबित करने के लिए वादी ने आवंटन से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नही किया है, केवल मात्र एक आवंटन रजिस्टर की फोटोकॉपी पेश की है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी ने आवंटन हेतु केवल आवेदन पेश किया था। इसलिए यह तनकी विरूद्ध वादी तय की जाती है।
2. आया वादी विवादित आराजीयात को प्रतिवादी जिला कलक्टर करौली एवं तहसीलदार सपोटरा को किसी दीगर संस्थान व व्यक्ति के नाम अमल न करने के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है? इस तनकी को भी साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी की विवादित आराजीयात ना तो खातेदारी का है और ना ही वादी ने कोई आवंटन से सम्बन्धित दस्तावेज पेश किया है, इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है। इसलिए यह तनकी भी विरूद्ध वादी तय की जाती है।
3. आया विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा एवं आवंटन के अभाव मे वादी के हक मे खातेदारी दर्ज नही होने से दावा वादी चलने योग्य नही है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। तनकी नं0 1 तथा 2 वादी की विरूद्ध तय हो चुकी है, इससे यह स्पष्ट है कि ना तो वादी का विवादित आराजीयात पर कब्जा है और ना ही कोई आवंटन हुआ है, अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।
4. आया 80 सीपीसी की पालना किये बगैर दावा हाजा चलने योग्य नही है? इस तनकी को भी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादी ने अपने वाद पत्र के साथ 80 सीपीसी का ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश किया है और ना ही वाद पत्र पेश करने के दो माह पूर्व 80 सीपीसी का नोटिस दिया है, इसलिए यह तनकी भी प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।
5. आया वादी का दावा कानूनी तथ्यों के अभाव मे खारिज होने योग्य है? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। जैसाकि उपर वर्णित तनकीयात से स्पष्ट है कि वादी ने ना तो कोई आवंटन से सम्बन्धित दस्तावेज पेश किये है और ना ही वादी का विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा है, इसलिए कानूनी तथ्य वादी के पक्ष मे नही है। इसलिए यह तनकी भी प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।
6. अनुतोषः- उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि तनकी नं0 1 व 2 जो कि वादी को तय की जानी थी किन्तु वादी ने इनके समर्थन मे कोई दस्तावेज पेश नही किये है इसलिए वादी घोषणा खातेदारी कराने का अधिकारी नही है। वादी भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से प्रचलित राजस्व विधि अनुसार आवंटन की कार्यवाही करा सकता है। अतः वाद पत्र वादी खारिज होने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात एवं उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह साबित है कि वादी का वाद पत्र चलने योग्य नही है। अतः वाद पत्र वादी खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31.8.2016 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा, जिला-करौली

उप जिला कलक्टर
सपोटरा जिला करौली